13.12.19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि ख.नं. 181 तादादी 18.74 हैक्टेयर जो उसके पूर्वजों की भूमि थी, उसके पिता के हिस्से का रकबा ख.नं. 361/181 तादादी 6.25 है. का बेचान अप्रार्थी सं. 2 व 3, जो उसके भाई है, ने उसके पिता अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिल कर सांठ-गांठ करके बेचान कर दिया जो चलते वाद की कार्यवाही में किये जाने से कानूनन वैध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वर्ष 2012 में ही पेश कर दिया जबकि बेचान वर्ष 2019 में किया गया है। अप्रार्थीगण को मेरी पुश्तैनी भूमि के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोका जावे।

क्रेता पक्षकार जो अप्रार्थीगण 5,6 की हैसियत से प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में पक्षकार बने है, की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को उक्त भूमि दान पत्र के जरिये प्राप्त हुई, अतः वह उसकी स्व-अर्जित सम्पत्ति है, जिससे प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अप्रार्थी सं. 1 को दान में मिलने के बाद नामांतरकरण नं. 187 से विभाजन हो जाने पर पुश्तैनी भूमि, स्व अर्जित हो चुकी है व तब से अप्रार्थी सं. 1, अपने हिस्से में काबिज काश्त है जबकि प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि, अप्रार्थी नं. जरिये रजिस्टर्ड बेचननामा 5,6 को बेच कर दी है, तथा जिसके नामांतकरण सं. 287 भी अप्रार्थीगण के नाम से रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, कानूनन अब वे रिकार्ड खातेदार है जिनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण 5,6 को अधिक है। अप्रार्थी सं. 1 की स्व-अर्जित संपत्ति के बेचान से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं कारित होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

PTO...

13/12
उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता मो. हुसैन ने निवेदन किया कि उसके client ने प्रश्नगत भूमि का विक्रय कर दिया है तथा कब्जा क्रेतागण को सौंप दिया है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जवाब अप्रार्थीगण 5, 6, 1 के जवाब का अवलोकन किया। विज्ञ अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया।

अप्रार्थीगण 5, 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति पैतृक नहीं होकर जरिए gift deed व बाद में partition होने से ~~उसके~~ अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में आई है, जो उसकी self acquired property हो चुकी है, उसे बेचान आदि करने व उपयोग-उपभोग में उसकी मर्जी के मुताबिक काम में लेने का सम्पूर्ण अधिकार है। हम अप्रार्थीगण 5, 6 के प्रार्थना पत्र से सहमत हैं। प्रथम दृष्टया प्रार्थी का मामला बनता नहीं है। सुविधा का संतुलन, अप्रार्थीगण 5, 6 की तुलना में क्षीण है। तथा पैतृक सम्पत्ति नहीं होने से अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को नहीं हो रही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को, जरिये तहसीलदार (अप्रार्थी सं. 4) नोखा को यह आदेशित करते हुए सीमित किया जाता है कि मौके पर यदि प्रार्थी चेतराम पुत्र पूर्णाराम का कब्जा रिहायश की हद तक पाया जाता है, तो रास्ते को निर्दिष्ट करते हुए उसकी रिहायशी ढाणी तक 500 वर्गमीटर भूमि को इस अस्थायी निषेधाज्ञा के ~~खारिज~~ प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से वाद की सुनवाई तक व अंतिम निर्णय किये जाने तक मुक्त रखा जावे। तहसीलदार नोखा व प्रार्थी चेतराम, धारा 151 CPC के तहत इस आदेश की पालना करने को प्रतिबद्ध रहेंगे।

13/12/19
SDO

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: